<u>प्रेस नोट दिनांक-27.12.2020</u>

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों के कब्जे से 22 क्वार्टर देशी शराब व 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी ।

(i). श्री विनोद कुमार साव आबकारी निरीक्षक प्रथम क्षेत्र कर्वी तथा उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा मछली मण्डी कर्वी से अभियुक्त कमलेश केवट पुत्र मोतीलाल तथा अभियुक्ता श्रीमती गायत्री पत्नी फूलचन्द्र केवट निवासीगण मछलीमण्डी कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

<u>बरामदगीः-</u>

20 लीटर कच्ची शराब

<u>बरादमगी करने वाली टीमः-</u>

1. श्री विनोद कुमार साव आबकारी निरीक्षक कर्वी तथा उनकी टीम
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी
3. उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार थाना कोतवाली कर्वी

(ii). उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा तथा आरक्षी निर्मल कुशवाहा द्वारा खांच पुलिया के पास से अभियुक्त बबुली प्रसाद पुत्र भुण्डा निवासी खांच रूकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 63/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री अवेधश कुमार थाना बहिलपुरवा तथा आरक्षी शरीफ द्वारा सेहरिन मोड़ तिराहा से अभियुक्त बलवन्त पुत्र रामआसरे निवासी सेहरिन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 64/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(2). दिनाँक-27.12.2020 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में श्री अरूण कुमार पाठक प्रभारी डीसीआरबी की अध्यक्षता में श्री शिवबदन सिंह वाचक पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की उपस्थिति में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालयों एवं थानों में नियुक्त हेड मुहर्रिर/आरक्षी मुहर्रिर के साथ थाना /चौकी के अभिलेखों के रख-रखाव एवं एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से गोष्ठी की गयी।

गोष्ठी में महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए-

(1). **थाना/चौकी के अभिलेख** नामक शीर्षक से जारी की गयी दिग्दर्शिका का गहनता से अवलोकन करते हुए समस्त थाना/चौकी/ विभन्न कार्यालयों में अभिलेख/रजिस्टर तैयार कर निर्देशानुसार अध्यावधिक करना सुनिश्चित करें।

(2). थाने के समस्त अभिलेख लगातार जारी रहने वाले होते है, इसलिए रजिस्टर इतना मोटा होना चाहिए कि उसमें कम से कम 08-10 वर्षों की प्रविष्टियां अंकित हो सके। थाने का अपराध रजिस्टर(रजिस्टर नं0-04) प्रति वर्ष बनाया जाता है।

(3) ऐसे सभी रजिस्टरों जिनमें ऑकड़े होते है, पाक्षिक/मासिक गोश्वारे रजिस्टर के पन्नों में ही बनाये जायेगें । गोश्वारे अलग से कागज पर बनाकर चिपकायें नही जायेंगे ।

(4). प्रत्येक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या अवश्य डाली जायेगी। नये बनने वाले अभिलेखों में थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/शाखा प्रभारी प्रमाण पत्र अवश्य अंकित करेंगे। पुराने अभिलेख के सम्बन्ध में जिसमें पहले से प्रमाण पत्र नही है इसको भी प्रमाणित करेंगे।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 27.12.2020 को एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धतुरहा चौराहा,चकरेही चौराहा, बलदाऊ गंज,शंकर बाजार, कसहाई रोड में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा गुरौला रोड मानिकपुर में जाकर मजदूरी कर रही महिलाओं को जागरूक किया, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कारखाना मुहल्ला में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बोझएवं ग्राम अरवारी में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरुक, परिवार परामर्श केन्द ने एक बार फिर पति पत्नी को एक कराया।